दैनिक भारत कि

तामीर

संपादक - काझी मकदूम शफीउद्दीन hinditameer@gmail.com

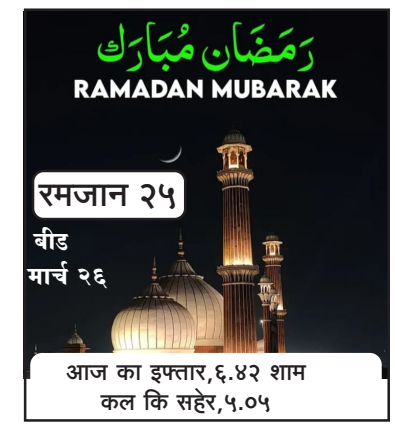

बीड (महाराष्ट्र) | वर्ष-१ ला | अंक-२३२ वा | बुधवार २६ मार्च २०२५ | RNI TITLE CODE:MAHHIN11405/120/1/3/2024 | किमत : २ रूपये | पन्ने - ४

डॉ.अशोक थोरात का निलंबन, आज बीड़ में धरना आंदोलन

बीड़, २५ मार्च (प्रतिनिधि): बीड़ जिले के सिविल सर्जन डॉ. अशोक थोरात को कोरोना काल के दौरान की गई खरीदारी में अनियमितताओं का दोषी ठहराते हुए मंगलवार को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा उनके निलंबन की घोषणा की गई। यह घोषणा विधायक नमिता मुंदडा द्वारा विधान सभा में उठाए गए ध्यानाकर्षण प्रश्न के उत्तर में की गई। इस घोषणा के बाद बीड़ जिले में तीव्र प्रतिक्रिया देखने को मिली है और कई सामाजिक संगठनों ने इस निर्णय के खिलाफ आज (बुधवार) धरना आंदोलन की घोषणा की है।

डॉ. अशोक थोरात ने कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य किया था और वर्तमान में वे दूसरी बार बीड़ के जिल्हा शल्य चिकित्सक के रूप में कार्यरत थे। विधायक नमिता मुंदडा ने विधान सभा में उनके कार्यकाल पर प्रश्न उठाते हुए आरोप लगाया कि कोरोना काल के दौरान की गई खरीदारी में अनियमितता हुई है। प्राथमिक जांच में इस पर आरोप सही पाए गए हैं और उनकी कार्यशैली पर भी सवाल उठाए गए हैं।

विधान सभा में विधायक मुंदडा ने सीधे यह प्रश्न उठाया था कि क्या डॉ. अशोक थोरात को निलंबित किया जाएगा। जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि डॉ. थोरात की विभागीय जांच चल रही है और यह तीन महीने में पूरी की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी घोषणा की कि सरकार उन्हें निलंबित कर रही है।

यह घोषणा मंगलवार सुबह की गई, जिसके बाद पूरे जिले में इस पर तीव्र प्रतिक्रिया हुई। विभिन्न क्षेत्रों से इस निर्णय की आलोचना हुई और सोशल मीडिया पर भी लोगों ने इस निर्णय को गलत बताते हुए डॉ. थोरात को राजनीतिक साजिश का शिकार बताया। मंगलवार को बीड़ में कई सामाजिक संगठनों और कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि बुधवार को इस निर्णय के विरोध में बीड़ में धरना आंदोलन किया जाएगा।

बीड के बशीरगंज चौक आंदोलन मामले में मास्टर, पटेल, खुर्शीद आलम, अश्फाक इनामदार, मुफ्ती मोहीयोदीन, जैतुल्ला खान, बरकत खान, फेरोज सहित सभी आरोपी बरी

बीड, प्रतिनिधि:

बीड शहर के बशीरगंज चौक पर मुस्लिम समाज से जुड़े एक सामाजिक मुद्दे को लेकर जन आंदोलन किया गया था। उस दौरान बीड शहर पुलिस थाने में आंदोलन में शामिल लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामले दर्ज किए थे। इसके चलते पिछले कई वर्षों से इन आंदोलनकारियों को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे थे।

आज दिनांक २५ मार्च २०२५ को मा. प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी बीड, श्रीमती के.सी. बागल ने सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। जिन लोगों को बरी किया गया है, उनमें सैय्यद मोईन मास्टर, सैय्यद फारूक पटेल, खुर्शीद आलम, अश्फाक इनामदार, मुफ्ती मोहीयोदीन, जैतुल्ला खान, बरकत खान, सलीम अध्यक्ष, फेरोज मोमिन, स. नबील उजमा, सैय्यद शकील, मोमिन मुसव्विर, इमरान शिकलगार, काज़ी निहाल, पठान कामरान, शेख रफ़त, शेख मुन्तज़िब, अहमद खान, शेख रफ़त (दूसरी बार नाम), असीम फारूकी शामिल हैं। सभी आरोपियों की ओर से एडवोकेट शेख सादिक और उनके सहयोगी एडवोकेट शेख आसिफ ने पैरवी की।

जयकुमार गोरे ब्लैकमेलिंग प्रकरण में सुप्रिया सुले और रोहित पवार का नाम

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का चौंकाने वाला खुलासा

रिपोर्ट: जमीर काज़ी, मुंबई

राज्य के ग्रामविकास मंत्री और सोलापुर के संपर्क मंत्री जयकुमार गोरे से जुड़ी ब्लैकमेलिंग की घटना को लेकर मंगलवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में बड़ा खुलासा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि जयकुमार गोरे को ब्लैकमेल करने की कोशिश करने वाली महिला और यूट्यूबर राष्ट्रवादी कांग्रेस (शरद पवार गुट) की नेता सुप्रिया सुले, रोहित पवार और प्रभाकर देशमुख के संपर्क में थे। इस मामले की जांच जारी है।

अंतिम सप्ताह के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान फडणवीस ने विपक्ष के आरोपों पर विस्तार से जवाब देते हुए कहा कि यदि किसी को जीवन से खत्म करने की नीयत से राजनीति की जा रही है, तो वह गलत है।

उन्होंने बताया कि जयकुमार गोरे पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाने वाली महिला को पुलिस ने ब्लैकमेलिंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। यह मामला २०१६ का है, जिसमें गोरे को २०१९ में बरी कर दिया गया था। अब अचानक यह मामला फिर से उठाया गया।

फडणवीस ने कहा, ऐसे मामलों में सामाजिक और पारिवारिक अपमान के डर से समझौता करने की कोशिश होती है, लेकिन मैं जयकुमार गोरे की हिम्मत की सराहना करता हूं। जब उनसे रिश्वत की मांग की गई, उन्होंने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। ट्रैप की योजना बनी, पूरी बातचीत रिकॉर्ड हुई, और रंगेहाथ पैसे लेते वक्त आरोपी को पकड़ा गया।

उन्होंने बताया कि पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि यह एक संगठित गिरोह था, जिसमें महिला, यूट्यूबर तुषार खरात और अनिल सुभेदार सहित कई लोग शामिल थे। सभी साजिश के सबूत मिल चुके हैं, जिनमें फोन कॉल्स, व्हाट्सऐप चैट और वीडियो शामिल हैं।

फडणवीस ने कहा, दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इस पूरे नेटवर्क के तार राष्ट्रवादी कांग्रेस (शरद पवार गुट) से जुड़े नजर आ रहे हैं। आरोपी ने प्रभाकर देशमुख से बातचीत की और तुषार खरात की सुप्रिया सुले और रोहित पवार से कॉल पर बात हुई। साथ ही आरोपी द्वारा बनाए गए वीडियो भी उन्हें भेजे गए। उनके बीच १५० से अधिक कॉल्स का रिकॉर्ड मिला है, जिसकी अब जांच होगी।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जब इस तरह के ब्लैकमेलिंग केस सामने आते हैं और विपक्ष भी उन्हें बढ़ावा देता है, तो सोचिए कि इस घटना से संबंधित महिला की २२ साल की बेटी पर इसका क्या असर पड़ेगा।

मैं अपना फोन जांच के लिए देने को तैयार हूं - सुप्रिया सुले का जवाब

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आरोपों पर राष्ट्रवादी कांग्रेस (शरद पवार गुट) की सांसद सुप्रिया सुले ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मुख्यमंत्री ने मेरा नाम लिया, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने मुझे नेता माना। मैं जांच के लिए अपना मोबाइल फोन देने को पूरी तरह तैयार हूं। संसद सत्र समाप्त होने के बाद आज शाम मैं इस पर विस्तार से बोलूंगी।

भारतीय पुरातत्व विभाग के किलों की देखरेख का जिम्मा राज्य को सौंपा जाए-केंद्रीय मंत्री को अशिष शेलार की मांग

विशेष प्रतिनिधि, मुंबई:

महाराष्ट्र के सांस्कृतिक कार्य मंत्री एड. अशिष शेलार ने केंद्र सरकार से मांग की है कि भारतीय पुरातत्व विभाग (-डख) के अधीन आने वाले छत्रपती शिवाजी महाराज से संबंधित किलों का संरक्षण, देखरेख और मरम्मत का कार्य राज्य सरकार को सौंपा जाए। इसके लिए उन्होंने केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत को पत्र लिखा है।

शेलार ने पत्र में लिखा कि छत्रपती शिवाजी महाराज और मराठा साम्राज्य के गौरवशाली इतिहास की गवाही देने वाले महाराष्ट्र में कुल ५४ किले केंद्र संरक्षित और ६२ किले राज्य संरक्षित हैं। राज्य सरकार इन किलों के संरक्षण और रख-रखाव के लिए लगातार प्रयास कर रही है। यदि केंद्र सरकार के अधीन किले भी राज्य सरकार को सौंपे जाते हैं तो उनकी देखभाल और मरम्मत अधिक प्रभावी रूप से की जा सकेगी।

शेलार ने यह भी जानकारी दी कि उन्होंने युनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में महाराष्ट्र के १२ ऐतिहासिक किलों को शामिल करवाने के लिए नेतृत्व करते हुए पेरिस का दौरा भी किया है। इन किलों में रायगड, राजगड, प्रतापगड, पन्हाळा, शिवनेरी, लोहगड, साल्हेर, सिंधुदुर्ग, सुवर्णदुर्ग, विजयदुर्ग, खांदेरी और जिंजी किला शामिल हैं।

शेलार ने अपने पत्र में यह भी कहा कि महाराष्ट्र का पुरातत्व और वस्तुसंग्रहालय संचालनालय धरोहरों के संरक्षण में विशेष विशेषज्ञता रखता है और यह कार्य पंजीकृत ठेकेदारों और वास्तुविदों के सहयोग से प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। इसके साथ ही राज्य सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी सक्रिय है और कुछ निजी संस्थाओं से उडठ (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) के तहत वित्तीय सहायता भी प्राप्त हो सकती है।

उन्होंने कहा कि यह किले हमारे इतिहास की अमूल्य धरोहर हैं और उनका संरक्षण हमारा कर्तव्य है। यह कार्य राज्य के लिए गर्व की बात होगी।

भूसंपादन प्रक्रिया में किसानों को अधिकतम लाभ देने के प्रयास होंगे- राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

विशेष प्रतिनिधि, मुंबई:

राज्य सरकार की ओर से किसानों को भूसंपादन प्रक्रिया में अधिकतम लाभ दिलाने का हरसंभव प्रयास किया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक ७५३ एल के बोरगांव से मुक्ताईनगर मार्ग के चौड़ीकरण हेतु किए जा रहे भूसंपादन में किसानों को उचित दर मिले, इसके लिए २ अप्रैल को बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में विस्तृत चर्चा कर किसानों के हित में समाधान निकाला जाएगा, ऐसा विधान परिषद में राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने कहा।

इस विषय को लेकर सदस्य एकनाथ खडसे ने लक्षवेधी सूचना प्रस्तुत की थी। इस पर डॉ. परिणय फुके, सदाभाऊ खोत, योगेश टिळेकर और भावना गवळी समेत अन्य सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया।

उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में भूसंपादन करते समय केंद्र सरकार के 'भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम' (ङ-ठठ) को लागू करने पर भी बैठक में चर्चा कर निर्णय लिया जाएगा। यदि बैठक में पाया गया कि भूसंपादन से किसानों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा, तो ऐसे निर्णय रद्द किए जाएंगे।

भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की विभागीय जांच के लिए नई प्रणाली लागू की जाएगी-मुख्यमंत्री फडणवीस

विशेष प्रतिनिधि, मुंबई:

राज्य सरकार उन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच करती है जो रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में संलिप्त पाए जाते हैं। लेकिन मौजूदा प्रणाली काफी समय लेने वाली है। इसलिए अब इस प्रक्रिया में सुधार कर नई प्रणाली लागू की जाएगी जिससे विभागीय जांच तेज़ी से पूरी की जा सके, यह जानकारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में दी।

यह प्रश्न विधायक वरुण सरदेसाई ने उठाया था। इस पर भास्कर जाधव ने भी चर्चा में भाग लिया।

मुख्यमंत्री ने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव के अधीन इस विभागीय जांच को समयबद्ध रूप से पूरा करने के लिए कार्य किया जा रहा है। यदि इसके लिए विशेष व्यवस्था करने की आवश्यकता पड़ी, तो वह भी की जाएगी ताकि समय रहते चार्जशीट तैयार की जा सके।

सरकार अब व्हाट्सएप के माध्यम से भी सेवाएं उपलब्ध करा रही है। इसके तहत सहकारी संस्थाओं से जुड़ी सभी सेवाएं पहले चरण में ऑनलाइन और दूसरे चरण में व्हाट्सएप पर उपलब्ध होंगी।

यदि कोई जानबूझकर काम को रोकता है, तो डिजिटल फुटप्रिंट के जरिए ऐसे व्यक्ति की पहचान कर उस पर कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मजदूर संस्थाओं में अध्यक्ष स्वयं मजदूर होना चाहिए। इसके लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग और श्रम विभाग मिलकर सख्त नियमावली बनाएंगे ताकि इन संस्थाओं का दुरुपयोग रोका जा सके।

मराठा और कुनबी छात्रों के लिए हर जिले में छात्रावास शुरू किया जाए-विधायक विजयसिंह पंडित की विधानसभा में मांग

मुंबई, २५ मार्च (प्रतिनिधि):

मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में मराठा और कुनबी समाज के छात्रों के लिए छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराने का वादा किया था। इस संबंध में सारथी संस्था द्वारा प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन उच्च शिक्षा विभाग और योजना विभाग के बीच तालमेल की कमी के चलते छात्रावासों की स्थापना में देरी हो रही है। इसलिए सरकार को संशोधित शासन निर्णय लेकर जिला स्तर पर मराठा और कुनबी छात्रों के लिए छात्रावास तुरंत शुरू करना चाहिए, ऐसी मांग गेवराई विधानसभा क्षेत्र के विधायक विजयसिंह पंडित ने आज विधानसभा में की।

विधायक पंडित ने कहा कि छत्रपती शाहू महाराज अनुसंधान, प्रशिक्षण और मानव विकास संस्था (सारथी) के माध्यम से जिलास्तर पर छात्रावास शुरू करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। लेकिन अभी तक ज़मीनी स्तर पर मराठा छात्रों को छात्रावास की सुविधा नहीं मिल पाई है। सारथी के प्रबंध निदेशक ने सरकार को पत्र लिखकर शासन निर्णय में सुधार की मांग की है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर इस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, जिससे यह मामला लंबित पड़ा है।

विधायक पंडित ने कहा कि सरकार की अन्य योजनाओं में जिस विभाग के माध्यम से छात्रावास संचालित किए जाते हैं, उसी विभाग द्वारा छात्रों के बैंक खातों में जीवन निर्वाह भत्ता और अन्य निधि जमा की जाती है। जैसे कि आदिवासी विभाग, सामाजिक न्याय विभाग आदि में यह पद्धति अपनाई जाती है। लेकिन सारथी द्वारा चलाए जा रहे छात्रावासों के लिए शासन निर्णय में यह प्रावधान है कि निर्वाह भत्ता उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा दिया जाए। इससे छात्रावास संचालन और वित्तीय सहायता देने वाले विभाग अलग-अलग होने के कारण प्रशासनिक स्तर पर असुविधा उत्पन्न हो रही है। इसके अलावा, जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित शुल्क छात्रों को छात्रावास संचालित करने वाली संस्था को देना होता है, लेकिन छात्रों द्वारा यह राशि संस्था को दी जाएगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, जिससे संस्था संचालकों को छात्रावास शुरू करने में कठिनाई हो रही है।

आगे बोलते हुए पंडित ने कहा कि ९ नवंबर २०२३ के शासन निर्णय में संशोधन कर छात्रावास संचालन और निधि वितरण के लिए पारदर्शी प्रणाली निर्माण की आवश्यकता है। सारथी संस्था के संचालक मंडल ने इस विषय पर कई जिलाधिकारियों से चर्चा कर एक रिपोर्ट सरकार को सौंपी है।

उन्होंने मांग की कि इन त्रुटियों को दूर कर और उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग व योजना विभाग के बीच तालमेल स्थापित कर राज्य के प्रत्येक जिले में मराठा और कुनबी समाज के छात्रों के लिए छात्रावास की सुविधा बिना विलंब के शुरू की जाए। इस संबंध में विधायक विजयसिंह पंडित उपमुख्यमंत्री अजित पवार से मुलाकात कर उन्हें इस विषय पर एक ज्ञापन भी सौंपेंगे।

उर्दू दैनिक तामीर के २५ वे साल में क़दम रखने पर एक और पेशकश

दलित-आदिवासियों का फंड न किया जाए स्थानांतरित- केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन

मुंबई (प्रतिनिधि): अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षित फंड को अन्य विभागों में स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए। इसी मांग को लेकर केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री एवं रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले ने सोमवार (२४ मार्च) को महाराष्ट्र के राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन से मुलाकात कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। साथ ही परभत्र्र के सोमनाथ सूर्यवंशी की पुलिस मारपीट में हुई मौत के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई की मांग भी की गई।

इस मौके पर युवा रिपाइं प्रदेशाध्यक्ष पप्पू कागदे, अविनाश म्हातेकर, सिद्धार्थ कासारे, चंद्रकांत कांबले सहित कई अन्य प्रतिनिधि उपस्थित थे।

मंत्री रामदास आठवले ने राज्यपाल से विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने मांग की कि राइट टू एजुकेशन (शिक्षा का अधिकार) कानून के तहत अभी कक्षा १ से ८ तक की शिक्षा मुफ्त है, लेकिन इसमें विस्तार कर कक्षा ९वीं और १०वीं को भी शामिल किया जाए, ताकि गरीब छात्रों को १वीं से १०वीं तक मुफ्त शिक्षा

प्राप्त हो सके। उन्होंने इस पर राज्यपाल से आवश्यक प्रयास करने की अपील की।

आठवले ने कहा कि परभणी में सोमनाथ सूर्यवंशी की पुलिस मारपीट में मौत हुई है, इसलिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को तत्काल निलंबित किया जाए। बीड़ जिले के आष्टी में विकास बनसोडे प्रकरण में भी उचित कार्रवाई होनी चाहिए।

उन्होंने इस बात पर चिंता जताई कि दलित और आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षित फंड अन्य मदों में ट्रांसफर किया जा रहा है, जो उनके साथ अन्याय के बराबर है। देशभर में दलित-आदिवासियों पर अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में इस दिशा में गंभीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए।

उन्होंने भूमिहीनों को ५ एकड़ जमीन देने, गायरान जमीन के मामलों में २०२० तक की समयसीमा बढ़ाने, झुग्गी पुनर्विकास योजनाओं के कार्यान्वयन, और निजी क्षेत्र में आरक्षण नीति लागू करने की मांगें भी राज्यपाल के समक्ष रखीं।

पुणे में छात्र पर जानलेवा हमला करने के बाद सात आरोपी मस्साजोग में छिपे, केज पुलिस ने जाल बिछाकर दबोचा

पुणे, २५ मार्च (प्रतिनिधि): पुणे ज़िले के कारेगांव (ता. शिरूर घोडनदी) क्षेत्र में एक युवक पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर भागे सात संदिग्ध आरोपियों को मस्साजोग इलाके में पेट्रोल पंप के पास से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रांजणगांव पुलिस ने वायरलेस पर इस बारे में केज पुलिस को सूचना दी थी, जिसके आधार पर पुलिस निरीक्षक वैभव पाटील के मार्गदर्शन में केज पुलिस ने जाल बिछाकर सभी आरोपियों को पकड़ लिया।

हमले का शिकार हुआ सौरभ श्रीराम राठौड़ (उम्र १७), जो कि गंगाखेड़ (जिला परभणी) का निवासी है, फिलहाल पुणे ज़िले के कारेगांव में शिक्षा के लिए रह रहा था। २३ मार्च की रात ९ बजे के करीब सौरभ पर ओंकार देशमुख नामक युवक से रंजिश के चलते हमला किया गया।

आरोपियों ने सौरभ से कहा, तू ओंकार देशमुख को घूरकर क्यों देख रहा था? जानता है वो कौन है? आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद गिरीश कराळे, रोहन बोटे, शंकर करंजकर, ओंकार देशमुख, ओम चव्हाण, रोहन गाडे (सभी निवासी कारेगांव, ता. शिरूर घोडनदी) और दो अज्ञात व्यक्तियों ने मिलकर उस पर कोयते से वार किए। उसके पेट, पीठ और सिर पर हमला किया गया। सिर पर पत्थर मारकर उसे जान से मारने की कोशिश की गई।

सौरभ को बचाने आए यश राजू धनवटे को भी हाथ और लातों से पीटा गया और धमकाया गया। फिलहाल सौरभ का अस्पताल में इलाज चल रहा है। यश धनवटे की शिकायत पर रांजणगांव एमआईडीसी पुलिस थाने में सात नामजद और दो अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इस मामले की जांच पुलिस निरीक्षक महादेव वाघमोडे कर रहे थे।

दावोस २०२५ में किए गए १९ समझौता प्रकल्पों को विशेष प्रोत्साहन की मंजूरी-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

३ लाख करोड़ रुपये की नई निवेश योजना, राज्य में २ लाख से अधिक रोजगारों की संभावना

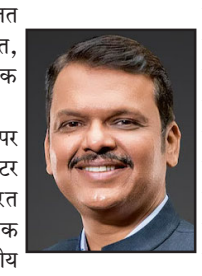

, मुंबई: जमीर काजी

दावोस २०२५ में महाराष्ट्र सरकार के साथ किए गए कुल १७ समझौता प्रकल्पों को सामूहिक प्रोत्साहन योजना (उझड) के तहत थ्रस्ट सेक्टर और उच्च तकनीक आधारित नीति के अनुसार विशेष प्रोत्साहन देने तथा अन्य दो प्रकल्पों को उनकी निवेश राशि के अनुसार 'अतिविशाल प्रकल्प' की श्रेणी में विशेष प्रोत्साहन देने की मंजूरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल उपसमिति की बैठक में दी गई।

इन १९ प्रकल्पों से राज्य में कुल ३,९२,०५६ करोड़ रुपये का नया निवेश आएगा, जिससे लगभग १,११,७२५ प्रत्यक्ष और २.५ से ३ लाख अप्रत्यक्ष रोजगारों का सृजन होने की संभावना है।

विशाल और अतिविशाल प्रकल्पों को प्रोत्साहन देने हेतु गठित इस मंत्रिमंडल उपसमिति की यह ११वीं बैठक विधानभवन स्थित समिति सभागृह में संपन्न हुई। बैठक में मुख्यमंत्री फडणवीस के साथ उपमुख्यमंत्री व नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार, उद्योग मंत्री उदय सामंत, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक उपस्थित रहीं।

बैठक में कुल २१ विषयों पर चर्चा की गई। इसमें थ्रस्ट सेक्टर तथा उच्च तकनीक आधारित अतिविशाल उद्योगों को सामूहिक प्रोत्साहन योजना और अन्य क्षेत्रीय नीतियों के अतिरिक्त विशेष प्रोत्साहन देने संबंधी २२ फरवरी २०२३ के शासकीय निर्णय में संशोधन कर ५ उत्पादन क्षेत्रों में अधिकतम २ या ३ प्रकल्पों की सीमा हटाकर कुल प्रकल्पों की सीमा १० से बढ़ाकर २२ करने की मंजूरी दी गई।

दावोस में उद्योग विभाग से जुड़े कुल ५१ समझौता प्रकल्पों में से आज की बैठक में १७ प्रकल्पों को स्वीकृति दी गई। इसके अतिरिक्त बीते दो महीनों में उद्योग विभाग ने ९ और प्रकल्पों को स्वीकृति पत्र जारी किए हैं। इस प्रकार कुल २६ प्रकल्पों को लेकर सरकार ने दो महीने के भीतर कार्यवाही पूर्ण की है। इससे राज्य में आगामी समय में लगभग ६ लाख करोड़ रुपये का निवेश और लगभग २ लाख प्रत्यक्ष व ३ लाख अप्रत्यक्ष रोजगारों का सृजन होगा। थ्रस्ट सेक्टर व उच्च तकनीक आधारित सेमीकंडक्टर चिप्स एवं वेफर्स, इलेक्ट्रिक वाहन, लिथियम आयन बैटरी, अंतरिक्ष एवं रक्षा सामग्री निर्माण, हरित स्टील प्रकल्पों को विशेष प्रोत्साहन देने के प्रस्तावों पर इस बैठक में विचार किया गया।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इन प्रकल्पों के माध्यम से तकनीकी नवाचार, अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा मिलेगा और एक मजबूत स्थानीय सप्लाई चेन विकसित होगी, जिससे विशेष रूप से मराठवाड़ा क्षेत्र के सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों को लाभ होगा।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग से हरितगृह गैस उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आएगी, जिससे राज्य में सेमीकंडक्टर, स्टील और ई-व्हीकल निर्माण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी।

इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव (नियोजन) राजगोपाल देवरा, अपर मुख्य सचिव (वित्त) ओ. पी. गुप्ता, उद्योग सचिव पी. अन्बलगन, उद्योग विकास आयुक्त दीपेंद्रसिंह कुशवाह और महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडल (चखऊड) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर. वेलारासू उपस्थित थे।

अवैध हुक्का पार्लर पर अब होगा सख्त एक्शन, तीसरी बार पकड़े जाने पर गैर-जमानती अपराध-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

विशेष प्रतिनिधि, मुंबई:

राज्य में तंबाकूजन्य हुक्का पार्लर पर २०१८ से ही कानूनन प्रतिबंध है, लेकिन हर्बल हुक्का के नाम पर अवैध रूप से हुक्का पार्लर चलाए जा रहे हैं। इन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कानून को और कठोर बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधान सभा में जानकारी दी कि अवैध हुक्का पार्लर संचालित करने के मामले में यदि किसी व्यक्ति पर तीसरी बार अपराध दर्ज होता है, तो उसे गैर-जमानती अपराध माना जाएगा।

विधायक सुनील कांबळे द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि अवैध हुक्का पार्लर चलाने पर फिलहाल तीन साल की सजा का प्रावधान है। लेकिन अब दूसरी बार अपराध करने पर आरोपी का रेस्तरां लाइसेंस रद्द किया जाएगा और तीसरी बार अपराध सिद्ध होने पर यह लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाएगा व अपराध गैर-जमानती माना जाएगा।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि हुक्का की आपूर्ति करने वालों पर भी वही अपराध लागू होगा जो हुक्का पार्लर संचालकों पर होता है। यदि पुलिस अवैध हुक्का पार्लर पर कार्रवाई नहीं करती है, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

ई-सिगरेट को लेकर भी मुख्यमंत्री ने चिंता जताई और कहा कि यह अब युवाओं में 'स्टाइल स्टेटमेंट' बन गया है। ई-सिगरेट पर प्रतिबंध है और इसकी प्रभावी तरीके से अमलबजावनी की जाएगी। गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने बताया कि अवैध हुक्का पार्लरों पर विशेष मुहिम चलाकर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि अब तक ऐसे मामलों में ५० अपराध दर्ज किए गए हैं और १.२५ करोड़ रुपये का सामान जब्त किया गया है।

बंद नलिका प्रणाली से पानी की होगी बचत, चासकमान को मिलेगा लाभ-मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

विशेष प्रतिनिधि, मुंबई:

चासकमान प्रकल्प के लिए स्वीकृत बंद नलिका वितरण प्रणाली में परिवर्तन संबंधी परियोजना की संकल्पना, रूपरेखा और बजट का कार्य प्रगति पर है। योजना को अंतिम मंजूरी मिलने के बाद बंद नलिका वितरण प्रणाली के कारण जल की बचत होगी और यह अतिरिक्त जल चासकमान के लिए उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसा विश्वास जलसंपदा मंत्री (गोदावरी व कृष्णा घाटी विकास महामंडल) राधाकृष्ण विखे पाटील ने विधान परिषद में व्यक्त किया। इस संदर्भ में सदस्य प्रवीण दरेकर ने लक्षवेधी सूचना प्रस्तुत की थी। विखे पाटील ने बताया कि चासकमान के लिए कलमोडी बांध से १.०७ टीएमसी पानी आरक्षित है। जनसंख्या में वृद्धि और औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के कारण पानी की मांग लगातार बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि कलमोडी मध्यम प्रकल्प के पुनः जल नियोजन प्रस्ताव को महामंडल ने सरकार को सौंपा है और उसकी जांच प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।नई परियोजनाओं को लागू करने के साथ-साथ पुरानी जल वितरण व्यवस्था में सुधार कर उपलब्ध जल का अधिकतम और बेहतर उपयोग किया जा सकेगा। इससे अतिरिक्त पानी उपलब्ध होगा और भविष्य में बढ़ती मांग को पूरा किया जा सकेगा, ऐसा मंत्री विखे पाटील ने कहा।

दैनिक भारत की तामीर अखबार के मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक काजी मखदूम शफीउद्दीन ने आरएम प्रिंटर्स, बार्शी रोड, बीड 431122 महाराष्ट्र में मुद्रित कर के दैनिक तामीर, नगर परिषद परिसर, बशीर गंज, बीड, महाराष्ट्र कार्यालय से प्रकाशित किया है। मोबाइल : 9270574444 ईमेल : hinditameer@gmail.com वेबसाइट : www.dailytameer.com
daily Bharat ki tameer newspaper owner printer publisher editor Quazi makhdoom shafiuddin has printed at RM printers barshi road beed 431122 Maharashtra at published at office daily tameer nagar parishad complex Bashir gunj beed Maharashtra. Mobile : 9270574444 Email : hinditameer@gmail.com Website : www.dailytameer.com